''प्लाईवुड विनीयर एवं फर्नीचर उद्योग'' से संबंधित विषय पर आयोजित उद्यमी पंचायत में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज की ओर से प्रस्तुत सुझाव

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अन्तर्गत वीनीयर या पेड़ से संबंधित शिल्पों को स्थान नहीं दिया गया है । वीनीयर पोपलर, कदम इत्यादि के पेड़ों से बनता है जिसका Regulation पर्यावरण एवं वन विभाग से किया जाता है ।

इस सबंध में हम आपका ध्यान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना दिनांक 11 सितम्बर 2017 की ओर दिलाना चाहेंगे जिसके अन्तर्गत ऐसे पेड़ो को काटना एवं उसका आगे Processing के लिए राज्यस्तरीय समिति (SLC) या Forest Officer को Controlling Authority बनाया गया है ।

पोपलर एवं कदम इत्यादि पेड़ो की खेती से कृषकों की आमदनी बढ़ेगी साथ ही पर्यावरण पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा । इससे वीनीयर का उत्पादन होगा जिससे कृषक की आमदनी बढ़ेगी। अत: अनुरोध है कि इसे Agro Industry का दर्जा दिया जाए जिससे कि वीनीयर उद्योग जो अभी रूग्ण हो गए हैं वह पुनर्जिवित हो सकें और बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुसार प्रदत्त सुविधा का लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके । ऐसा होने से इस प्रकार के पेड़ो को लगाने के लिए किसान भी उत्साहित होंगे ।

1. पोपुलर, कदम एवं अन्य वैसे प्रजाति की लकड़ियॉ जिससे विनियर (कोर) तैयार होती है उन्हें कृषि ऊपज की श्रेणी में रखा जाय जिससे कि विनियर मिल कृषि आधारित उद्योग की श्रेणी में आ सकें ।

2. विनियर उद्योग सीधे किसानों से लकड़ियॉ खरीदती है । इस उद्योग के समुचित विकास एवं पुनर्जीवीत करने के लिए इसमें उन्नत तकनीक की मशीनों को खरीदने की आवश्यकता है। अत: अद्यतन मशीनों की खरीद के लिए सरकार की ओर से ब्याजमुक्त ऋण का प्रावधान किया जाए साथ ही कम ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी का प्रावधान किया जाए ।

क्रमश:..... 2

3. उन्नत तकनीक मशीन लगाना नितान्त आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में 25% से 30% लकड़ियॉ विनियर बनाने में इस्तेमाल नहीं हो पाती है यदि उन्नत तकनीक मशीन लग जाती है तो उससे भी विनियर निकलेगा जिसका लाभ सीधे किसानों को मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी जिससे किसान पोपुलर की खेती के तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे।

4. पोपुलर की खेती को बढ़ावा देने के लिये किसानों को भी स्थानीय स्तर पर जागरूक करने की आवश्यकता है । इस कार्य में वन विभाग, एन०जी०ओ० एवं विनियर मिल मालिक अहम भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं जिससे किसान यह आश्वस्त हो जाएंगे कि वे जो खेती कर रहे हैं उसका खरीददार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हैं ।

5. विनियर मिल मालिक जो अपने यहॉ विनियर का उत्पाद करते हैं वैसे प्लाईवूड उद्योगों को (पेस्टिंग प्लांट) लगाने का भी प्रावधान किया जाये जिससे वह अपने उत्पाद का उपयोग अपने यहॉ ही लगे प्लाईऊड उद्योग (पेस्टिंग प्लांट) में कर सकें । इससे परिवहन में आने वाले खर्चें में कमी आयेगी जिसका लाभ किसानों को मिलेगा एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे ।

6. बिहार सरकार द्वारा पोपुलर प्रजाति की लकड़ियों के उपज को बढ़ाने हेतु सरकारी कार्यक्रम कुछ दिनों से कार्यरत है । इन लकड़ियों का सीधा सम्बन्ध विनियर मिलों से है और इसलिए विनियर मिलों की स्थिति में सुधार करने हेतु यह आवश्यक है कि जब तक इस उद्योग को कृषि आधारित उद्योग की श्रेणी में शामिल नहीं किया जायेगा तब तक किसानों को इन पेड़ों के उचित खरीददार नहीं मिलेंगे । इससे किसानों की आय में वृद्धि नहीं हो पायेगी, क्योंकि ये इण्डस्ट्री रूग्ण इकाईयों की श्रेणी में आ चुके हैं ।

7. विगत कुछ वर्षो में राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणी के अपने भूखंड के MVR का पुनर्रीक्षण करते हुए भूखंड की दरें निर्धारित की है । औद्योगिक भूखंड के लिए अलग से कोई MVR का दर निर्धारित नहीं है । उक्त परिपेक्ष में हमारा सुझाव है कि औद्योगिक भूखंड का अलग वर्गीकरण करते हुए अलग MVR का निर्धारण हो जो कृषि योग्य भूमि के लिए निर्धारित MVR के आस–पास हो ।

8. बियाडा के Transfer Fee की गणना में बियाडा जिस दर पर अपने भूखण्डों का आवंटन करता है, उसी दर पर Transfer Fee की भी गणना किया जाये।

9. बियाडा द्वारा दी गई भूखण्ड के निबंधन में बियाडा के आवंटन मूल्य के आधार पर निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी लिया जाये।

क्रमशः..... **3**

10. अभी खरीद अधिमानता नीति का लाभ स्थानीय उद्यमी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि टेंडर में Brand, Turnover & Turn-key इत्यादि की शर्ते लगायी जा रही है । अतः औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में प्रावधानित खरीद अधिमानता नीति को इस तरह लागू किया जाना चाहिए कि स्थानीय उद्यमियों को इसका लाभ मिल सके। खरीद अधिमानता नीति अंतर्गत ब्रांड, टर्न ओवर एवं टर्न–की की बाध्यता को दूर किया जाना चाहिए।

11. राज्य में बैंकों के नकारात्मक सोच के कारण ऋण मिलने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा समय पर ऋण नहीं मिलने से उद्योग के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है । अतः राज्य सरकार को राज्य के निगमों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था का आग्रह है ।

12. 1 जुलाई 2017 से राज्य में VAT/Entry Tax के बदले Goods & Service Tax (GST) प्रभावी किया गया है लेकिन अभी तक GST के अन्तर्गत किये गये भुगतान के संबंध में उद्योगों के लिए Reimbursement से संबंधित कोई नीति नहीं होने के कारण इसका भुगतान लंबित है ।

13. राज्य में अवस्थित सभी इकाईयों (नया एवं पुराना) को पूर्व में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 एवं 2011 के तहत बिजली में AMG/MMG से छूट प्राप्त था । अतः अनुरोध है कि पूर्व की भांति राज्य के सभी नई एवं पुरानी प्लाईवुड इकाईयों को AMG/MMG के Charges से छूट प्रदान किया जाना चाहिए ।

14. औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए dedicated feeder की पूर्ण व्यवस्था की जाये, इससे संचरण एवं वितरण में नुकसान (T&D Losses) भी कम होगी।

15. नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में घोषित सभी अनुदान को अनुदानित राशि के उपरी सीमा को यथावत रखते हुए 5 (पाँच) वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 10 (दस) वर्ष कर दिया जाये।

****

पटना
30 सितम्बर, 2019